

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 100

वीरवार, 3 मार्च, 2016/13 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. प्रश्नोत्तर:

(i) तारांकित प्रश्न:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2330 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2697 से 2702 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2491 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2703 से 2736 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्न:

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1182 से 1195 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागजात सभा पटल पर:

- (1) श्री जी०एस० बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एफ.डी.एस.-ए (3)-12/2002 दिनांक 17.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।
- (2) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-
- (i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(1)-7/2012-लूज़ दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.12.2014 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2014 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2012-वॉल-1

- दिनांक 30.1.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित;
- (iv) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-वॉल-1 दिनांक 30.1.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-28/2014 दिनांक 19.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' और 'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-23/2014 दिनांक 27.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2015 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.05.2015 को प्रकाशित;

- (viii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) अमेंडमेंट रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.05.2015 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2015-लूज़ दिनांक 03.06.2015 तथा इसका समसंख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 03-07-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2015 तथा दिनांक 04.07.2015 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 25.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2015 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2015 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 01.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2015 को प्रकाशित;

- (xiii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 07.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.11.2015 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-16/2014 दिनांक 07.11.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.11.2015 को प्रकाशित;
- (xv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-1 दिनांक 14.12.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.12.2015 को प्रकाशित; और
- (xvi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2015 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2010-लूज़ दिनांक 04.01.2016 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.01.2015 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

1. श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2015-16) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-
 - (i) समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न विकासात्मक कार्यों तथा आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है; और
 - (ii) समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है।
2. श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, वर्ष (वर्ष 2015-16), ने समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री बिक्रम सिंह ने निम्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :

"दिनांक 29 फरवरी, 2016 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित "जसवां-परागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अमरोह पेयजल भण्डारन टैंक से हो रही मटमैले पानी की आपूर्ति " से उत्पन्न स्थिति।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री बिक्रम सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

- i. श्री राकेश कालिया
- ii. श्री महेश्वर सिंह

(अपराह्न 1.10 बजे सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

- iii. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
- iv. श्री बिक्रम सिंह
- v. श्री विनय कुमार, मुख्य संसदीय सचिव
- vi. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
- vii. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
- viii. श्री जय राम ठाकुर,
- ix. श्री संजय रतन
- x. श्री वीरेन्द्र कंवर

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 6.00 बजे तक बढ़ाई गई)

- xi. श्री यादविन्द्र सिंह गोमा
- xii. श्री विजय अग्निहोत्री

(सांय 6.00 बजे सदन की बैठक सांय 7.00 बजे तक बढ़ाई गई)

- xiii. श्री नरेन्द्र ठाकुर
- xiv. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
- xv. श्री सुरेश कुमार

(सांय 7.00 बजे सदन की बैठक सांय 7.10 बजे तक बढ़ाई गई)

(सदन की बैठक सांय 7.10 बजे शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2015 के पूर्वाहन
11.00 बजे तक स्थगित हुई)